झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–181 वर्ष 2017

अमुस लुगुन, पे0–स्वर्गीय जोहान लुगुन, निवासी ग्राम–खरवागढ़ा, डाकघर–जलडेगा, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा, झारखंड .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. महालेखाकार (ए एंड ई), झारखंड, रांची, डाकघर एवं थाना–डोरंडा, जिला–रांची, झारखंड
3. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखंड
5. उपायुक्त, सिमडेगा
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा
7. कोषाध्यक्ष, सिमडेगा
8. प्रधानाध्यापक, आर0सी0 प्राथमिक विद्यालय, बिरटा, डाकघर–बारसलोया, थाना–बानो, जिला–सिमडेगा, झारखंड
9. सचिव, आर0सी0 प्राथमिक विद्यालय, बिरटा, डाकघर–बारसलोया, थाना–बानो, जिला–सिमडेगा, झारखंड .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्त्ता के लिए :– जोरांग जेडन सांगा, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– आशीष कुमार ठाकुर, एस0सी0 (एल एंड सी) का जे0सी0

04 / 07.09.2017 रिट याचिका में प्रार्थना 6ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार पेंशन में पुनरीक्षण और पेंशन के बकाया राशि के लिए है।

याचिकाकर्त्ता ने पेंशन संशोधन आदेश दिनांक 04.09.2014 प्रस्तुत किया है जो 5वें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार उनकी पेंशन के पुनरीक्षण पर जारी किया गया था। उपरोक्त तथ्य में, यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्त्ता 6ठे वेतन संशोधन की सिफारिश के अनुसार पेंशन में पुनरीक्षण का हकदार है, यदि कर्मचारियों के ऐसे वर्ग को राज्य सरकार की अधिसूचना में विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया है।

तद्नुसार, तत्काल रिट याचिका का निस्तारण जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा, प्रतिवादी संख्या 6 को निर्देश देते हुए किया जाता है कि 6ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार याचिकाकर्त्ता की पेंशन के बकाया के भुगतान और पेंशन में पुनरीक्षण के लिए छः सप्ताह की अवधि के भीतर, यदि पहले से पुनरीक्षित नहीं है, आवश्यक कदम उठाए जाए।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)